

**न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)**

व्यवहार वाद क.192ए/2015

संस्थापित दिनांक 07/10/2014

फाईलिंग नम्बर 230303012902014

1. वासुदेव पुत्र भगरीप्रसाद आयु 64 साल
2. श्रीमती शीलाबाई पत्नि वासुदेव जाति ब्राम्हण  
निवासीगण ग्राम वीलपुरा, तहसील गोहद जिला  
भिण्ड म0प्र0

..... वादीगण

बनाम

1. महेश शर्मा आयु 32 साल
2. नवल आयु 26 साल पुत्रगण वासुदेव प्रसाद जाति  
ब्राम्हण निवासीगण हाल-230 कुंजबिहार फेस-2 गोले  
का मंदिर ग्वालियर म0प्र0
3. म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान-कलेक्टर महोदय भिण्ड

..... प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधि0श्री ए0बी0पाराशर उप0।  
प्रतिवादीगण----- एकपक्षीय।

::- निर्णय :-

(आज दिनांक 06/12/2016 को घोषित किया)

वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम वीलपुरा तहसील गोहद में स्थित भूमि सर्वे क.5 रकवा 0.15 सर्वे क.67 रकवा 0.68 सर्वे क.115 रकवा 0.32 सर्वे क.121 रकवा 0.80 सर्वे क.155 रकवा 0.23 सर्वे क.201 रकवा 0.70 सर्वे क.287 रकवा 0.18 सर्वे क.357 रकवा 0.03 सर्वे क.380 रकवा 0.02 सर्वे क.512 रकवा 0.12 सर्वे क.614 रकवा 0.22 कुल रकवा 3.45 हेक्टेयर एवं ग्राम भयपुरा तहसील गोहद में स्थित भूमि सर्वे क.275 रकवा 1.13 हेक्टेयर सर्वे क.261 रकवा 0.28 सर्वे क.262 रकवा 0.12 कुल रकवा 1.53 हेक्टेयर एवं सर्वे क.186 रकवा 2.52 सर्वे क.255 रकवा 0.49 सर्वे क.276 रकवा 0.46 कुल रकवा 0.95 हेक्टेयर के 1/2 भाग अर्थात 0.47 हेक्टेयर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि ग्राम वीलपुरा तहसील गोहद में स्थित भूमि सर्वे क.5 रकवा 0.15 सर्वे क.67 रकवा 0.68 सर्वे क.115 रकवा 0.32 सर्वे क.121 रकवा 0.80 सर्वे क.155 रकवा 0.23 सर्वे क.201 रकवा 0.70 सर्वे क.287 रकवा 0.18 सर्वे क.357 रकवा 0.03 सर्वे क.380 रकवा 0.02 सर्वे क.512 रकवा 0.12 सर्वे क.614 रकवा 0.22 कुल रकवा 3.45 हेक्टेयर स्थित है जिसका वादी क01 भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। ग्राम भयपुरा तहसील गोहद में भूमि सर्वे क.275 रकवा 1.13 हेक्टेयर सर्वे क.261 रकवा 0.28 सर्वे क.262 रकवा 0.12 कुल रकवा 1.53 हेक्टेयर स्थित है जिसका वादी क01 स्वत्व एवं

आधिपत्यधारी हैं तथा ग्राम भयपुरा में सर्वे क्र.186 रकवा 0.52 सर्वे क्र.255 रकवा 0.49 सर्वे क्र.276 रकवा 0.46 कुल रकवा 0.95 हेक्टेयर के 1/2 भाग अर्थात 0.47 हेक्टेयर की भूमि स्वामी वादी क्र02 हैं। उपरोक्त विवादित भूमि वादीगण के एकल स्वामित्व की स्वतंत्र भूमि है जिसे वादीगण ने पृथक पृथक खरीदा है उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क्र01 एवं 2 वादीगण के पुत्र हैं एवं बी0एस0एफ0 तथा भारत तिब्बत पुलिस में पदस्थ हैं। प्रतिवादीगण वादीगण की वृद्धा अवस्थाफायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को खेती नहीं करने दे रहे हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 24/09/14 को वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर खेती करने से रोका था एवं खेती करने पर जान से मारने की धमकी दी थी प्रतिवादी क्र01 रात्रि में अक्सर वादीगण की मारपीट करता रहता है एवं वादीगण को तथा उसके पुत्र गिराज एवं अजय को जान से मारने की एवं झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं करने दे रहे हैं। अतः वादपत्र प्रस्तुत करवादीगण निवेदन है कि प्रतिवादीगण के यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में बाधा उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी क्र01 एवं 2 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुये उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा खरीदी हुई पुश्तैनी सम्पत्ति है जिस पर प्रतिवादीगण का जन्म से हक है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कभी कोई धमकी नहीं दी गई है न ही वादीगण की मारपीट की गई है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से की जमीन पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी का संयुक्त हिन्दू परिवार है। वादग्रस्त भूमि वादी के बाबा भगवतीप्रसाद ने अपने जीवनकाल में अपनी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति की आय से वादी के नाम खरीदी थी वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है जिसका प्रतिवादी सहदायिक है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य समस्त जायदाद का वर्ष 2010 में जुलाई मास में बंटवारा हो गया था बंटवारे में वादी क्र01 ने मौजा वीलपुरा की 12 बीघा जमीन प्रतिवादीगण को दी थी तभी से प्रतिवादीगण मौजा वीलपुरा के रकवा 0.68 एवं 121 रकवा 0.80 सर्वे क्र.155 रकवा 0.23 तथा सर्वे क्र.201 रकवा 0.70 कुल रकवा 2.41 पर वादी की जानकारी में निरंतर निर्विघ्न खेती कर रहे हैं। बंटवारे के बाद उक्त सर्वे क्रमांकों पर वादी की खेती नहीं हुई है। शेष भूमि मौजा वीलपुरा एवं मौजा भयपुरा पर की वादी ने अपने एवं अपने अन्य पुत्रों के हिस्से में ली थी जिस पर वादी की खेती हो रही है। प्रतिवादी को हिस्से में मिली भूमि से वादीगण का कोई स्वत्व संबंध नहीं है। वादीगण ने अन्य लडकों के बहकावे में आकर यह वाद प्रस्तुत किया है। मौखिक बंटवारा हो जाने के बाद प्रतिवादी के हिस्से में आई भूमि परवादीगण का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व कागजात में वादीगण का नाम दृश्यमान भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है। वादीगण ने स्वयं की आय से जमीन नहीं खरीदी है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसके प्रतिवादी सहदायिक हैं। वादग्रस्त भूमि के वादीगण स्वामी नहीं है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्ती योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

4. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

#### वाद प्रश्न

#### निष्कर्ष

1. क्या वादी क्र01 ग्राम वीरपुरा तहसील गोहद में स्थित वादग्रस्त कृषि

- भूमि सर्वे क्र.5 रकवा 0.15 सर्वे क्र.67 रकवा 0.68 सर्वे क्र.115 रकवा 0.32 सर्वे क्र.121 रकवा 0.80, सर्वे क्र.155 रकवा 0.023 सर्वे क्र.201 रकवा 0.70 सर्वे क्र.287 रकवा 0.18 सर्वे क्र.357 रकवा 0.03 सर्वे क्र.380 रकवा 0.02 सर्वे क्र.512 रकवा 0.12 सर्वे क्र.614 रकवा 0.22 कुल रकवा 3.45 हेक्टेयर एवं ग्राम भयपुरा तहसील गोहद स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे क्र.275 रकवा 1.13 सर्वे क्र.261 मिन रकवा 0.28 सर्वे क्र.262 रकवा 0.12 कुल रकवा 1.53 हेक्टेयर का एक मात्र आधिपत्यधारी है?
2. क्या वादी क्र.02 ग्राम भयपुरा तहसील गोहद में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 186 रकवा 0.52 सर्वे क्र.255 रकवा 0.49 सर्वे क्र.276 रकवा 0.46 कुल रकवा 0.95 हेक्टेयर में  $\frac{1}{2}$  भाग की एक मात्र आधिपत्यधारी है? प्रमाणित है
3. क्या प्रतिवादी क्र.01 एवं 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है? हाँ
4. क्या वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है? हाँ
5. क्या वाद में असंयोजन का दोष है? नहीं
6. सहायता एवं व्यय? वाद सफल रहा।

### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### वाद प्रश्न क्रमांक-1 एवं 2

5. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. उक्त वाद प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है। उक्त वाद प्रश्नों के संबंध में वादी वासुदेव प्रसाद वा.सा.01 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि ग्राम वीलपुरा परगना गोहद में स्थित 3.45 हेक्टेयर भूमि का वह भूमि स्वामी है जिसमें कुल 11 सर्वे क्रमांक है उसके नाम पर ग्राम भयपुरा में 1.53 हेक्टेयर भूमि है तथा ग्राम भयपुरा में ही उसकी पत्नि वादी क्र.02 शीलाबाई के नाम से 0.99 हेक्टेयर अर्थात् 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि है जिस पर उनके द्वारा खेती की जा रही है। उसने उक्त जमीन कड़ी मेहनत करके एकत्रित की है। उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी महेश एवं नवल उसके पुत्र है। उसने उक्त भूमि पर खेती करके प्रतिवादीगण को नौकरी योग्य बनाया है। महेश बी.एस.ओ. में नवल भारत तिब्बत सीमा पुलिस में नौकरी करता है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 24/09/14 को आकर उसे धमकी दी थी एवं उसे विवादित जमीन पर खेती करने से मना किया था। वादीगण द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में ग्राम वीलपुरा के वर्ष 2015-16 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र.पी.03 एवं ग्राम भयपुरा के वर्ष 2015-16 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र.पी.04 तथा विक्रयपत्र प्र.पी.05 लगायत 09 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं।

7. प्रतिपरीक्षण के पद क्र.07 में उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसने वर्ष 1977 से लेकर 1982 तक भैसों की डेयरी की थी तथा डेयरी से उसने पैसे बचाये थे एवं जमीन खरीदी थी। पद क्र.08 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके पिता दो भाई रामचरण एवं भगरी थे एवं यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.05 का वयनामा उसके चाचा रामचरण ने किया था। उसे उसके पिता से कोई जमीन नहीं मिली थी।

8. वादी साक्षी नारायण सिंह वा0सा02 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी हैं।

9. प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

10. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की स्वअर्जित भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं हैं।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के वह स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमियाँ उनके द्वारा विक्रयपत्र प्र0पी05 लगायत प्र0पी09 द्वारा कय की गई हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में प्र0पी05 लगायत प्र0पी09 के विक्रय पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिससे यह दर्शित है कि वादीगण द्वारा उक्त विक्रयपत्र के माध्यम से भूमि कय की गई है। वादी वासुदेव वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने वर्ष 1977 से लेकर वर्ष 1982 तक दूध डेयरी का काम किया था तथा डेयरी के कार्य से पैसे बचाकर जमीन खरीदी थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि विक्रयपत्र प्र0पी06 लगायत प्र0पी08 की भूमि उसके पूर्वजों ने उसके नाम से खरीदी थी। वादी साक्षी नारायण सिंह वा0सा02 ने भी वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि होना बताया हैं।

12. प्रतिवादीगण द्वारा यद्यपि उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने जबाव दावे में यह अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं हैं। वादी ने उक्त भूमि को एकांकी रूप से नहीं खरीदा था बल्कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पुश्तैनी पूर्वजों के द्वारा खरीदी हुई सम्पत्ति है जिस पर प्रतिवादीगण का जन्म से हक हैं। परन्तु उक्त संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादीगण ने पैतृक जमीन विक्रय करके वादग्रस्त जमीन कय की थी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का यह अभिवचन की वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है सत्य नहीं हैं।

13. प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबावदावे में यह भी अभिवचन किया गया है कि वादी ने वर्ष 2010 में जुलाई मास में रिश्तेदारों एवं मौहल्ले वालों के सामने वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर दिया था तथा बंटवारे में वादी क01 ने स्वेच्छया से मौजा वीलपुरा की 12 बीघा जमीन सर्वे क067 रकवा 0.68 सर्वे क.121 रकवा 0.80 सर्वे क.155 रकवा 0.23 एवं सर्वे क.201 रकवा 0.70 भूमि प्रतिवादीगण को दे दी थी जिस पर प्रतिवादीगण की खेती हो रही है। वर्ष 2010 के पश्चात वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है परन्तु उक्त संबंध में भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादीगण ने वर्ष 2010 में वादी द्वारा बंटवारा कर देना बताया है परन्तु बंटवारे के संबंध में भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित



किया गया है कि वादी ने बंटवारा रिश्तेदारों एवं मौहल्ले वालों के सामने किया था परन्तु उक्त संबंध में मौहल्ले के किसी व्यक्ति एवं रिश्तेदारों को भी प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 2010 से उनकी खेती हो रही है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज खसरा इत्यादि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वर्ष 2010 से सर्वे क्र.67 रकवा 0.68, सर्वे क्र.121 रकवा 0.80, सर्वे क्र.155 रकवा 0.23, सर्वे क्र. 201 रकवा 0.70 भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का यह अभिवचन की वादी ने विवादित भूमि का बंटवारा कर दिया था सत्य नहीं है।

14. वादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके द्वारा प्र०पी०५ लगायत प्र०पी०९ के विक्रयपत्र द्वारा कय की गई है एवं वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य है। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में ग्राम वीलपुरा के विवादित भूमि के वर्ष 2015-16 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र०पी०३ एवं ग्राम भयपुरा की विवादित भूमि के वर्ष 2015-16 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र०पी०४ भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्र०पी०३ के खसरे में विवादित भूमि सर्वे क्र. 5,67,115,121,155,201,287,357,380,512, एवं 614 पर वादी क्र०१ का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है एवं प्र०पी०४ के खसरे में विवादित भूमि सर्वे क्र.186 के रकवा 0.52 हेक्टेयर एवं सर्वे क्र.255 के रकवा 0.49 एवं सर्वे क्र.276 के रकवा 0.46 के 1/2 भाग पर वादी क्र०२ शीलाबाई का नाम एवं सर्वे क्र.275 एवं 262 पर वादी क्र०१ वासुदेव का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित हैं। यद्यपि प्र०पी०३ एवं प्र०पी०४ के खसरे में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.261 का उल्लेख नहीं है परन्तु वादीगण द्वारा जो प्र०प०८ का विक्रयपत्र प्रस्तुत किया गया है उसके अवलोकन से यह दर्शित है कि सर्वे क्र.261, रकवा 0.28 विस्वा भूमि वादी क्र०१ वासुदेव द्वारा सरजूप्रसाद, मनीराम, सरदारसिंह, पुलंदर सिंह एवं छोटा से कय की गई थी।

15. इस प्रकार वादीगण द्वारा जो प्र०पी०५ लगायत प्र०पी०९ के विक्रयपत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यह दर्शित होता है कि वादीगण द्वारा उक्त विक्रयपत्रों के माध्यम से भूमियाँ कय की गई थी एवं वादीगण द्वारा जो प्र०पी०३ एवं प्र०पी०४ के खसरे अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं उनसे भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य होना दर्शित है प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्र०पी०३ एवं प्र०पी०४ के खसरे से वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना दर्शित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 117 के अंतर्गत उक्त खसरो के सही होने की उपधारणा की जायेगी।

16. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि उनकी स्वअर्जित भूमि होना बताया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमि है परन्तु उक्त संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके द्वारा प्र०पी०५ लगायत प्र०पी०९ के विक्रयपत्रों द्वारा कय की गई हैं। प्र०पी०५ लगायत प्र०पी०९ के विक्रयपत्रों से यह दर्शित है कि वादीगण द्वारा भूमियाँ कय की गई हैं। प्र०पी०३ एवं प्र०पी०४ के खसरो से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य भी दर्शित है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की स्वअर्जित भूमि है एवं वादीगण के जीवनकाल में

वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

17. समग्र अवलोकन से प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वादी क01 वासुदेव ग्राम वीलपुरा में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क.5 रकवा 0.15, सर्वे क.67 रकवा 0.68, सर्वे क.115 रकवा 0.32, सर्वे क.121 रकवा 0.80 सर्वे क.155 रकवा 0.23 सर्वे क.201 रकवा 0.70 सर्वे क.287 रकवा 0.18 सर्वे क.357 रकवा 0.03 सर्वे क.380 रकवा 0.02, सर्वे क.512 रकवा 0.12, एवं 614 रकवा 0.22 एवं ग्राम भयपुरा में स्थित भूमि सर्वे क.275 रकवा 1.13, सर्वे क.261 रकवा 0.28 एवं सर्वे क.262 रकवा 0.12 का एक मात्र आधिपत्यधारी है एवं वादी क02 शीलाबाई ग्राम भयपुरा में स्थित भूमि सर्वे क.186 रकवा 0.52 एवं सर्वे क.255 रकवा 0.49 तथा सर्वे क.276 रकवा 0.46 कुल रकवा 0.95 हेक्टेयर के 1/2 भाग की एक मात्र आधिपत्यधारी है। अतः उक्त दोनो वाद प्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हैं।

#### **वाद प्रश्न कमांक-3 एवं 4**

18. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी वासुदेव वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादीगण उसके पुत्र है तथा वादग्रस्त जमीन पर उसे खेती नहीं करने दे रहे हैं एवं खेती करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वादी साक्षी नारायण सिंह वा0सा02 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वाद प्रश्न क01 एवं 2 की विवेचना से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है। वादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं करने दे रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावे में यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा हो गया था तथा बंटवारे में जो भूमि प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई थी उससे वादीगण का कोई संबंध नहीं है। परन्तु प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा हो गया था वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य प्रमाणित है अतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। फलतः उक्त वाद प्रश्न भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हैं।

#### **वाद प्रश्न कमांक-5**

19. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण ने प्रकरण में अपने अन्य पुत्रों को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रकरण में असंयोजन का दोष है।

20. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा अपने अन्य पुत्रों से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। ऐसी स्थिति में वह प्रकरण के आवश्यक पक्षकार नहीं हैं एवं वाद में असंयोजन का दोष नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

#### **सहायता एवं व्यय**

21. समग्र अवलोकन से वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। फलतः प्रस्तुत वाद निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:-

1— प्रतिवादी क01 एवं 2 को स्थाई रूप से निशेधित किया जाता है कि वह ग्राम वीलपुरा में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क.5 रकवा 0.15, सर्वे क.67 रकवा 0.68, सर्वे क.115 रकवा 0.32, सर्वे क.121 रकवा 0.80 सर्वे क.155 रकवा 0.23 सर्वे क.201 रकवा 0.70 सर्वे क.287 रकवा 0.18 सर्वे क.357 रकवा 0.03 सर्वे क.380 रकवा 0.02, सर्वे क.512 रकवा 0.12, एवं 614 रकवा 0.22 कुल रकवा 3.45 हेक्टेयर एवं ग्राम भयपुरा में स्थित भूमि सर्वे क.275 रकवा 1.13, सर्वे क.261 रकवा 0.28 एवं सर्वे क.262 रकवा 0.12 कुल रकवा 1.53 हेक्टेयर एवं भूमि सर्वे क.186 रकवा 0.52 पर तथा सर्वे क.255 रकवा 0.49 एवं सर्वे क.276 रकवा 0.46 हेक्टेयर के 1/2 भाग पर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें।

2— प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा समान रूप से बहन किया जावेगा।

3— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान — गोहद

दिनांक — 06/12/16

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,  
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0